Ex.P.-461

# कथन – मोहम्मद हुसैन मेमन

| | | |
|---|---|---|
| थाना | – | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर |
| अपराध कमांक | – | 09/2015 |
| धारा | – | 13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0 |
| नाम व पिता का नाम | – | मोहम्मद हुसैन मेमन पिता अब्दुल सत्तार मेमन |
| उम्र | – | 38 वर्ष |
| पता | – | पोस्ट ऑफिस के पीछे, मेन रोड़ गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ0ग0) |
| मोबाईल नंबर | – | 98935–78616 |
| व्यवसाय | – | संचालक, ताज राईस मिल, इंडियन आयल पेट्रोप पंप के बाजू गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ0ग0) |

——00——

मैं मोहम्मद हुसैन मेमन पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं ताज राईस मिल, गरियाबंद का संचालक हूं। मेरी राईस मिल की क्षमता 04 टन धान प्रति घंटे की है। मेरा मार्कफेड से 80 हजार क्विंटल वर्ष 2014–15 में अनुबंध है, पिछले वर्ष 2013–14 में 68.8 हजार क्विंटल धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध था। गरियाबंद में क्वालिटी इंस्पेक्टर एस.के. तिवारी है तथा गरियाबंद में जिला प्रबंधक श्री मोतीलाल साहू है। गरियाबंद में 06 राईस मिल है तथा 03 गोदाम है। गरियाबंद में चावल अनलोडिंग एवं स्टेकिंग के लिये हमालों को 2800रू. उनके ग्रुप के मुखिया को देते है। नान में वर्ष 2014–15 में 34 लॉट चावल अभी तक जमा किया हूं। मेरा द्वारा भेजे गये चावल नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर एस.के. तिवारी द्वारा 02 लॉट रिजेक्ट किये हैं। मेरे तथा अन्य राईस मिलर्स द्वारा नान के अधिकारियों को सुविधा शुक्ल के नाम पर 08रू. प्रति क्विंटल की दर से पैसा देते है। सुविधा शुक्ल देने से हमारे द्वारा भेजे गये चावल के लॉट की गुणवत्ता पर समझौता तथा उक्त लॉट को जमा करने के लिये स्पेश की व्यवस्था की जाती है। इस तरह हमें नान के अधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है तथा इसी कारण हम राईस मिलर्स नान के अधिकारियों को 08रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा कलेक्शन कर देते है। अगर किसी राईस मिलर द्वारा कलेक्शन का पैसा देने से मना किया जाता है तो नान के अधिकारियों के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है उनके चावल के लॉट को कारण बताते हुए वापस कर दिया जाता है ताकि वे भी कलेक्शन का पैसा जमा करे। इस तरह असुविधाओं से बचने के लिये हमें कलेक्शन का पैसा देना पड़ता है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 07.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ